न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 6/2023 तारीख रजू:– 22.06.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. किशन्या पुत्र मांगी, जाति कुम्हार (प्रजापत), निवासी सीतापुर, तहसील सूरौठ, जिला–करौली राजस्थान। ———————————— प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील सूरौठ, जिला–करौली (राज०) ————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट सायल

निर्णय दिनांक :– 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1010/68 रकवा 1.43 है० स्थित ग्राम सीतापुर, तहसील सूरौठ, जिला करौली है। जिसमें सायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 76 रकवा 13 ऐयर स्थित ग्राम सीतापुर, तहसील सूरौठ, जिला करौली है। जिसमें सायल 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 296, 297, 298, 299, 300, 319/996 कुल किता 6 कुल रकवा 1.5 है० स्थित ग्राम सीतापुर, तहसील सूरौठ, जिला करौली है। जिसमें सायल 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 288, 289, 290, 293, 301, 302, 310, 315, 355 कुल किता 9 कुल रकवा 1.29 है० स्थित ग्राम सीतापुर, तहसील सूरौठ, जिला करौली है। जिसमें सायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 303, 321, 331 कुल किता 3 कुल रकवा 83 ऐयर स्थित ग्राम सीतापुर, तहसील सूरौठ, जिला करौली है। जिसमें सायल 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 321/99 रकवा 32 ऐयर स्थित ग्राम सीतापुर, तहसील सूरौठ, जिला करौली है। जिसमें सायल 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 359 रकवा 22 ऐयर स्थित ग्राम सीतापुर, तहसील सूरौठ, जिला करौली है। जिसमें सायल 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 ता 07 प्रार्थना पत्र में राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से सायल के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में उसका नाम किशन्या पुत्र मांगी के स्थान पर किशना पुत्र मांगी व कहीं किशन पुत्र मांगी व कहीं किशनसिंह पुत्र मांगी कर रखा है, जबकि सायल का सही नाम किशन्या पुत्र मांगी है तथा सायल के समस्त सरकारी दस्तावेजों में सायल का सही नाम किशन्या पुत्र मांगी ही अंकित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि सायल के समस्त दस्तावेज जिनमें मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड में सायल का नाम किशन्या पुत्र मांगी ही दर्ज है, इसके अतिरिक्त सायल के परिवार का जनाधार कार्ड तथा सायल की पत्नी के आधार कार्ड में भी बतौर पति सायल का नाम किशन्या ही दर्ज है, इसके अतिरिक्त सायल के बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते में व सायल के पुत्र रामकेश की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र में उसकी वल्दियत किशन्या ही दर्ज है, इससे स्पष्ट है कि सायल व उसके परिवार के समस्त दस्तावेजात में सायल का नाम किशन्या पुत्र मांगी ही दर्ज है, जो कि सही एवं दुरुस्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदियों में सायल के नाम किशन्या पुत्र मांगी के स्थान पर किशना पुत्र मांगी व कहीं किशन पुत्र मांगी व कहीं किशनसिंह पुत्र मांगी दर्ज हो जाने से सायल को अपनी उक्त खातेदारी की भूमि पर केसीसी ऋण आदि लेने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उक्त गलती को दुरुस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 01 ता 07 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदियों के खातेदारी कॉलम में अपने अशुद्ध नाम होने की जानकारी दिनांक 06.06.2023 को केसीसी ऋण लेने हेतु जमाबंदियों की नकल मिलने पर हुई। जिसे दुरुस्त करने के लिए सायल ने गैरसायल से दिनांक 07.06.2023 को कहा तो उन्होंने इस सम्बंध में श्रीमान के यहां चाराजोही करने हेतु कहा, इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमान के यहां पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र नीयत शुल्क 2 रुपये पर प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि प्रार्थना को सुनने व निस्तारण करने का श्रीमान को अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 01 ता 07 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदियों में सायल के नाम किशना पुत्र मांगी व किशन पुत्र मांगी व किशनसिंह पुत्र मांगी के स्थान पर किशन्या पुत्र मांगी, जाति कुम्हार (प्रजापत) दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने पत्रांक /ना0कोर्ट/2023/387 दिनांक 08.12.2023 से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि वाद संख्या 06/2023 उनवान किशन्या बनाम तहसीलदार सूरौठ अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में मुताबिक पटवारी हल्का सूरौठ एवं भू अभिलेख निरीक्षक सूरौठ द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट निम्नानुसार है–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि दावा बिंदु संख्या 1 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 2 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 3 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 4 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 5 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 6 मुताबिक राजस्व रिकार्ड मेल नहीं खाता है जिसके कारण अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 7 मुताबिक राजस्व रिकार्ड स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम सीतापुर के विभिन्न खातों में भिन्न–भिन्न दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि प्रार्थी के दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम किशन्या पुत्र मांगी है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि दावा बिन्दु संख्या 10, 11, 12 और 13 न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

अतः उक्त दावा में बिन्दुवार जबाब श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 किता 7, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 384066288358 किशन्या पुत्र मांगी निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र सं0 **RJ/11/086/0211492** किशन्या पुत्र मांगी निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति जन आधार कार्ड परिवार पहचान संख्या 4880421535 किशन प्यारी पत्नि किशन्या निवासी सीतापुर पोस्ट लहचौडा, तहसील हिण्डौन जिला करौली, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशना पुत्र मांगी हि0 1/10 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1010/68 रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशना पुत्र मांगी हि0 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 321/998 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशन पुत्र मांगी हि0 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 288 रकबा 0.20 है0, 289 रकबा 0.16 है0, 290 रकबा 0.18 है0, 293 रकबा 0.27 है0, 301 रकबा 0.11 है0, 302 रकबा 0.09 है0, 310 रकबा 0.06 है0, 315 रकबा 0.19 है0, 355 रकबा 0.03 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशनसिंह पुत्र मांगी हि0 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 303 रकबा 0.19 है0, 321 रकबा 0.16 है0, 331 रकबा 0.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशन पुत्र मांगी हि0 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 296 रकबा 0.27 है0, 297 रकबा 0.17 है0, 298 रकबा 0.17 है0, 299 रकबा 0.20 है0, 300 रकबा 0.14 है0, 319/996 रकबा 0.10 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशन पुत्र मांगी हि0 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशन पुत्र मांगी हि0 1/24 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 384066288358 किशन्या पुत्र मांगी निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र सं0 **RJ/11/086/0211492** किशन्या पुत्र मांगी निवासी सीतापुर तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति जन आधार कार्ड परिवार पहचान संख्या 4880421535 किशन प्यारी पत्नि किशन्या निवासी सीतापुर पोस्ट लहचौडा, तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का नाम कहीं पर तो किशना/किशन/किशनसिंह पुत्र मांगी दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम किशन्या दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपना नाम किशना/किशन/किशनसिंह पुत्र मांगी के स्थान पर किशन्या पुत्र मांगी दुरूस्त कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशना पुत्र मांगी हि0 1/10 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर किशन्या पुत्र मांगी हि0 1/10 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार तथा खसरा नम्बर 1010/68 रकबा 1.43 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशना पुत्र मांगी हि0 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर किशन्या पुत्र मांगी हि0 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार तथा खसरा नम्बर 321/998 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशन पुत्र मांगी हि0 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर किशन्या पुत्र मांगी हि0 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर तथा खसरा नम्बर 288 रकबा 0.20 है0, 289 रकबा 0.16 है0, 290 रकबा 0.18 है0, 293 रकबा 0.27 है0, 301 रकबा 0.11 है0, 302 रकबा 0.09 है0, 310 रकबा 0.06 है0, 315 रकबा 0.19 है0, 355 रकबा 0.03 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशनसिंह पुत्र मांगी हि0 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर किशन्या पुत्र मांगी हि0 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार तथा खसरा नम्बर 303 रकबा 0.19 है0, 321 रकबा 0.16 है0, 331 रकबा 0.48 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशन पुत्र

मांगी हि0 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर किशन्या पुत्र मांगी हि0 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार तथा खसरा नम्बर 296 रकबा 0.27 है0, 297 रकबा 0.17 है0, 298 रकबा 0.17 है0, 299 रकबा 0.20 है0, 300 रकबा 0.14 है0, 319/996 रकबा 0.10 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशन पुत्र मांगी हि0 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर किशन्या पुत्र मांगी हि0 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार तथा खसरा नम्बर 359 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम सीतापुर तहसील सूरौठ में खातेदारी के कॉलम में किशन पुत्र मांगी हि0 1/24 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार के स्थान पर किशन्या पुत्र मांगी हि0 1/24 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. ग्राम खातेदार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली